कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2019/684 दिनांक : 10.01.2019

।। विज्ञप्ति ।।

टोंक न्यायक्षेत्र के विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट प्रकरण, टोंक में वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरूद्ध कुल 03 सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक जी/आई/ए-4(i)(a)55/16/159 दिनांक 08.01.2019 की पालना में राजस्थान सरकार कार्मिक(क-2) विभाग के परिपत्र कमांक :एफ.17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के कम में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर दिनांक 31.07.2019 तक अथवा रिक्त पदों के नियमानुसार भरने तक अथवा कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए सेवाएं ली जानी है।

शर्तेः-

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरुप समेकित पारिश्रमिक राशि उक्त परिपत्र के संलग्न परिशिष्ट-क के अनुसार होगी।
2. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नही होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
3. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नही की है, की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं लेने हेतु विचार किया जावेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हे सेवा से अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हे किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, के सम्बन्ध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नही किया जावेगा।
6. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारुप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशो/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तो पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 23.01.2019 को सायं 5.00 बजे तक व्यक्तिश अथवा डाक द्वारा इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। इस संबंध में जानकारी जिला न्यायालय की वेबसाईट districts.ecourts.gov.in/tonk पर एवं नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है :-

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्त आदेश की प्रति
2. अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र(एलपीसी) की प्रति
3. पीपीओं की प्रति
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र (प्रारुप संलग्न है)

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक (राज.)

।। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में समेकित पारिश्रमिक के आधार पर सेवाएं लेने के लिये आवेदन प्रारुप ।।

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम : ....
2. पिता / पति का नाम : ....
3. जन्मतिथि : ....
4. पता : ....
....
....
5. आयु (दिनांक 23.01.2019 को) : .... वर्ष ....माह ....दिन
6. अर्हताएं : ....
7. मूल विभाग का नाम : ....
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद : ....
9. अनुभव : ....
....
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन : ....
(रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न है)
11. मूल पेंशन राशि ....
(पीपीओ प्रति संलग्न है)
12. धारित पद का वेतनमान
(सेवानिवृत्ति के समय) ....
13. विभागध्यक्ष का प्रमाण पत्र ....
(संलग्नानुसार है)

हस्ताक्षर प्रार्थी मय दिनांक
एवं पता (मो.नं.सहित)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये बन्धपत्र

मै .... पुत्र .... निवासी .... विभाग मे .... के पद पर कार्यरत रहा हूं तथा दिनांक .... को उपर्युक्त विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूं। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिको को लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं. एफ. 17(10)डीओपी / ए–II / 94 दिनांक 08.02.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों / निर्देशों मे दिये गये सहमत निर्वचनो और शर्तो के अनुसरण मे टोंक न्यायक्षेत्र मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर समेकित पारिश्रम के आधार पर अपनी सेवायें देने हेतु सहमत हूं तथा वचन देता हूं कि राज्य सरकार एव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समस्त नियमो एव शर्तो से आबद्ध रहूंगा और इनका पालन करुंगा।

स्थान

दिनाक :

Scanned by CamScanner

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारुप मे बिन्दु स 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती/सुश्री.................. पुत्र/पुत्री/पत्नी.................. जो सेवानिवृत्ति से पूर्व   पद पर विभाग मे कार्य कर रहा था/थी. के संबध मे विभाग मे उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग मे सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती/सुश्री.................. की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार मे संविदात्मक वचनबध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती/सुश्री ....रु. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती/सुश्री   अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और सेवानिवृत्ति के समय उक्त के विरुद्ध कोई विभागीय जाच/आपराधिक मामला लंबित नही है।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

Scanned by CamScanner